राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2088/2011/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत्त–द्वितीय, जोधपुर। ...अपीलार्थी

बनाम्

मैसर्स चन्द्रोदय ऑटोमोबाईल्स, प्रा.लि., जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन.एस.राठौड़,
उप–राजकीय अधिवक्ता । .....अपीलार्थी की ओर से

श्री चंचल राय,
अधिवक्ता। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :28.02.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), जोधपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के अपील आदेश दिनांक 23.05.2011 के विरूद्ध पेश की गयी हैं जो कि अपील संख्या–3/आर.वेट/जेयूडी/2010–11 के सम्बन्ध में हैं तथा जिसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 23/24 के तहत् निर्धारण वर्ष 2007–08 के लिये पारित आदेश **दिनांक 11.02.2010** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 23 के तहत् दिनांक 11.02.2010 को पारित कर, तद्नुसार मांग राशियां कायम की गयी। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये अपीलीय आदेश दिनांक 23.05.2011 के प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन कर,

लगातार.....2

अपीलीय आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिवक्ता ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश दिनांक **12.08.2011** की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **23.05.2011** के जरिये अपील स्वीकार कर, प्रकरण अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया थस, जिनकी पालना में अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक **12.08.2011** के जरिये प्रतिप्रेषित प्रकरण का निस्तारण कर मांग राशियां कायम की गयी । **विशिष्ट रूप से कथन किया कि उक्त पारित निर्धारण आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये अपील आदेश दिनांक 05.04.2013 के स्वीकार कर ली गयी है।** अतः दोनों अवर अधिकारीयों द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 11.02.2010 व दिनांक 23.05.2011 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाने के कारण प्रस्तुत उक्त अपील "सारहीन" हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:—

(i)सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)

(ii)सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 केशरीलाल (1991) 9 आर.टी. जे.एस 8 । (राज.)

(iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, ऐन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं0 (1997) 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)

(iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं0, 38 टैक्स वर्ल्ड 16 (आर.टी.बी.)

(v) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स ऊंझा फार्मेसी, उदयपुर अपील संख्या 2052/2005/उदयपुर 27 टैक्स अपडेट 205 (आर.टी.बी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी है ।

उप—राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के जवाब में कथन किया कि प्रस्तुत अपीलें "**सारहीन**" (INFRUCTUOUS) नहीं हुयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है :—

लगातार.....3

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स **119 एस.टी.सी. 376** । (राज.)

2. वा.क.अ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर, कांकरोली **25 आर.टी.जे.एस.79।** (आर.टी.टी.)

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने की प्रार्थना की गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा गुणावगुण पर सामान्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। अतः अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया । अध्ययन करने के पश्चात् इस पीठ के विनम्र मतानुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत **25 टैक्स अपडेट 59 व 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के न्यायिक निर्णय 20 टैक्स वर्ल्ड 64 (आर.टी.टी.)** तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित निर्णय **38 टैक्स वर्ल्ड 16** में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में, आदेश दिनांक **12.08.2011** पारित किये जाने व उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध **प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये अपील आदेश दिनांक 05.04.2013 के स्वीकार कर ली गयी है।** अतः दोनों अवर अधिकारीयों द्वारा पारित आदेश क्रमशः दिनांक 11.02.2010 व दिनांक 23.05.2011 का कोई अस्तित्व नहीं रह जाने के कारण प्रस्तुत उक्त अपील "सारहीन" हो गयी है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, गुणावगुण के बिन्दु पर विचार किये बिना ही उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति के आधार पर, प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" घोषित कर, अस्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया।

28.2.2014

(मदन लाल)
सदस्य